

सं0 सं0 14 / एम 11-1 / 16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.4.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	प्रकाश कुमार चौरसीया पिता-स्व. लक्ष्मी चौरसीया ग्राम+पो०-मंगरवारा थाना-श्रीनगर जिला-मधेपुरा	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।
2	बेबी अनु कुमारी पिता-अनिल कुमार सिंह ग्राम-आनन्द नगर थाना-नगर पो०+जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
3	सस्तू कुमार पिता-स्व. छोटन साव ग्राम-दिदारगंज होल्ट पो०-कटरा बाजार समिति थाना-मालसलामी जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	जगदेव साह पिता-स्व. बैजु साह ग्राम-पो०-मुहब्बतपुर थाना-देवरिया जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) स्वीकृत।
5	वसी अहमद पिता-स्व. मंजर अहमद ग्राम-बीबीपुर पो०-थाना-काको जिला-जहानाबाद	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

20/4/17
20/4/17

6	बनवारी पासवान पिता—स्व. राम एकबाल पासवान ग्राम—फटीकवारा पो0—थाना—देसरी जिला—वैशाली	हृदय रोग	₹ 85,000 /—(पचासी हजार) स्वीकृत।
7	शैलेन्द्र कुमार सिन्हा पिता—स्व. रामफल राम ग्राम—गली न0-2 सैदपुर पो0—बांकीपुर थाना—कदमकुंआ जिला—पटना	हृदय रोग	₹ 1,35,000 /—(एक लाख पैंतीस हजार) स्वीकृत।
8	सुनील कुमार पिता—स्व. लाल बाबु साह ग्राम—तेलीया सराय पो0+थाना—सराय जिला—वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,35,000 /—(एक लाख पैंतीस हजार) स्वीकृत।
9	मालती देवी पति—अजय कुमार ग्राम—नावा पश्चिमी पो0—सिविल एरोड़ाम थाना—बोध गया जिला—गया	हृदय रोग	₹ 1,60,000 /—(एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
10	लाल मोहन कुमार पिता—लक्ष्मण राम ग्राम—पूर्वी लोहानीपुर खादपर पो0+थाना—कदमकुंआ जिला—पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /—(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
11	मो0 नाजीर पिता—स्व. जैनुद्धीन ग्राम+पो0—सादीपुर भुतहा थाना—वाइसी जिला—पूर्णिया	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /—(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
12	शारदा देवी पति—रामा शंकर प्रसाद ग्राम—रसुलपुर पो0—छतीया बुजुर्ग थाना—हुसैनगंज, जिला—सीवान	हृदय रोग	₹ 1,60,000 /—(एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
13	सरोज देवी पति—स्व0 श्यामनन्दन प्रसाद ग्राम—प0 लोहानीपुर नीयर काठ पुल,पो0—जी0पी0ओ0 थाना—कदमकुंआ जिला—पटना	हृदय रोग	₹ 1,35,000 /—(एक लाख पैंतीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 15,80,000 /—

अ/४५/१३
१८/५/११

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,80,000/- (पन्द्रह लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 509309 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम—'निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना' खाते का प्रकार— चालु , बैंक का नाम—इन्डियन ओबरसीज बैंक, शाखा का नाम—कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय बौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 509309 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक २७-०५, १६

ज्ञापांक ५९७ (१५)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों का/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
२१.०५.१६

सं0 सं0 14 / एम 11-1 / 16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,
हार्ट हौस्पीटल लिमिटेड (चन्द्रालय)
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.4.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्र० सं0	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	आयसा खातुन पिता—मो० मुस्लिम ग्राम—लहुआर पो०—तेलहर, थाना—महीषी जिला सहरसा	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	हरिशंकर प्रसाद सिंह पिता—स्व. मनोहर सिंह ग्राम—महेन्द्रपुर पो०+थाना—हाथीदह जिला—पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	संजय कुमार पिता—स्व. शिव कुमार सिंह ग्राम—मोल दियार टोला पो०+थाना—मोकामा जिला—पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	शबाना पति—मुमताज हुसैन ग्राम+पो०—कोहड़ा थाना—दाउदपुर जिला—सारण	हृदय रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल रु० 3,60,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालू खाता सं0 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ५७१३२५ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 30002849889 खाता धारक का नाम—"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार— चालू , बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम..... RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।

२१/४/३
२६/५/०

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा ।
 4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्लौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

५०/-

(डॉ आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

जापांक

ज्ञापाक प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं८०९३२५ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

पटना दिनांक

50/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना दिनांक २७.०५.१६

ज्ञापांक ५९८ (१५)

प्रतिलिपि - लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
२।।

सं0 सं0 14/एम 11-1/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक / अधीक्षक
फोर्ड हॉस्पीटल, एड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्ण नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.4.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	संतोष कुमार पिता—विनोद कुमार ग्राम—झौर, पो०—कोंचगांव थाना—वारसलीगंज जिला—नवादा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	शशांक भुषण पिता—कुमार बिन्दु भुषण ग्राम—61 एलएचसी० कालोनी पो०—लोहियानगर थाना—कंकड़बाग जिला पटना	मस्तिष्क रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	राजेश्वर भगत पिता—स्व. बद्री भगत ग्राम—भलुही रसुल पो०—करनौल थाना—साहेबगंज जिला मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	सुबोध यादव पिता—महेश यादव ग्राम—प्रसवन्ना पो०—अम्मापाली थाना—पीरपेंती, जिला—भागलपुर	मस्तिष्क रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
5	लक्ष्मण महतो पिता—लालजी महता ग्राम—मेढ़ीया, पो०—डपरखा थाना—त्रीवेणीगंज जिला—सुपौल	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।

२१/४/१५
२०/४/१६

6	संजीदा खातुन पति—मो० आसीफ अंसारी ग्राम—पो०—पोहददी थाना—बहेड़ा जिला—दरभंगा	हृदय रोग	₹ 70,000 /—(सतर हजार) स्वीकृत।
7	मधुमीता कुमारी पति—राजेश कुमार ग्राम—मिर्जापुर नोहटा पो०+थाना—फतुहा जिला—पटना	हृदय रोग	₹ 48,000 /—(अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
8	सुरेन्द्र राय पिता—स्व. चन्द्रिका राय ग्राम—कोचवाड़ा पो०—अरविंद नगर थाना दरियापुर जिला—सारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /—(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
9	मुस्तफा हुसैन पिता—महमुद आलम ग्राम—शेखआलमचक पो०+थाना+जिला—जहानाबाद	हृदय रोग	₹ 85,000 /—(पचासी हजार) स्वीकृत।
10	मो. रफीक आलम पिता—स्व. मो० गफ्फुर ग्राम—भिट्ठा मुस्लिम टोला पो०+थाना—इस्माईलपुर जिला—भागलपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /—(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
11	सुधीर कुमार पिता—सकलदेव राय ग्राम—पो०—मुरौवतपुर थाना—देसरी जिला—वैशाली	हृदय रोग	₹ 48,000 /—(अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
12	अनिता सिंह पति—अजय कुमार सिंह ग्राम+पो०—धनौरा थाना—रसलपुर जिला—भागलपुर	हृदय रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 1,75,000 /—(एक लाख पचहतर हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 11,11,000 /

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,11,000 / (ग्यारह लाख ग्यारह हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० SD 9324 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम— फोर्ड हौस्पीटल एडं रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम—हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम / अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

३१/११/२
२८/११/१

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-
(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं ८०९३८६ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ज्ञापांक ५९९(१५)

ह0/-
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक २७.०५.१६

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

२१.५.१६
रामेश्वर मुख्यमंत्री

सं0 सं0— 14 / एम 11-1 / 16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,
एस.एस. हौस्पीटल एड रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.4.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राधिका देवी पति—स्व. राम सुन्दर शुक्ला ग्राम—मिल्कीपर रायपुरा पो०+थाना—फतुहा जिला—पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	श्रीमन नारायण पिता—श्रवण कुमार ग्राम+पो०—नोवान थाना—शकुराबाद जिला—जहानाबाद	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
3	सुभाष चन्द्र प्रसाद सिंह पिता—स्व. शीतल प्रसाद सिंह ग्राम—रमौल पो०—बांधर थाना—हथोरी जिला—समस्तीपुर	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,20,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता सं0 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ८० ९३३३ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम—“निदेशक, एस०एस० हौस्पीटल एड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना—20” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम—हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।

२८/५/१३
२८/५/१३

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक संख्या 809333 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 602(14)

पटना, दिनांक २७.०५.१६

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
२१.५.१६